न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – नीता वसीटा

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
10/2022	07/03/2022	5/09/2024

1. रामभरोशी बाई पत्नी परसराम जाति बैरवा निवासी आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान।

वादी

बनाम

1. रामनिवास पुत्र पांच्या जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

2. उगन्ताबाई पुत्री जग्या जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

3. कालूलाल पुत्र जग्या जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

4. जगदीश पुत्र जग्या जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

5. बदाम पुत्री जग्या जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

6. ममता पुत्री जग्या जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

7. मोहनलाल पुत्र जग्या जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

8. मोत्या पत्नी जग्या जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

9. कमलेश पुत्री बद्री जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

10. गिर्राज पुत्र बद्री जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

11. पिंकी पुत्री बद्री जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

12 रघुवीर पुत्री बद्री जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

13. बरज्या पुत्र पांच्या जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

14. रामकंवरी पुत्री पांच्या जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

15. रामपति पुत्री मथुरा जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

16. हीरा बाई पत्नी मथुरा जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

17. कविता पुत्री रामस्वरूप जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

18. एलमा पुत्री संतरा बाई जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

19. महावीर पुत्र संतरा बाई जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

20. रणवीर पुत्र संतराबाई जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

21. सुलोचना पुत्री संतरा बाई जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

22. श्रीमान तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट

संक्षेप में वाद इस प्रकार है कि माल आसीदा पटवार हलका बालूपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान की मुताबिक जमाबन्दी संवत 2071 से 74 की खसरा नंबर 9 रकबा 0.77 है0, खसरा नंबर 41 रकबा 2.00 कृषि आराजी में प्रतिवादी कम 1

रामनिवास पुत्र पांच्या बैरवा का राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक वर्णित कृषि आराजी में 1/7 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है।

यह कि दिनांक 03.05.2019 को प्रतिवादी कम 1 रामनिवास पुत्र पाच्या बैरवा ने जर्ये रजि0 विकय पत्र से ग्राम आसीदा के वर्णित खसरा नंबर 9 रकबा 0.77 है0 व खसरा नं0 47 रकबा 2.00 है0 में निहित अपना सम्पूर्ण 1/7 हिस्सा की कृषि आराजी दिनांक 3.05.2019 को कीमत 1 रामनिवास पुत्र पांच्या बैरवा ने जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र से ग्राम आसीदा के वर्णित खसरा नंबर 9 रकबा 0.77 है0 व खसरा नं0 47 रकबा 2.00 है0 में निहित अपना सम्पूर्ण 1/7 हिस्सा की कृषि आराजी दिनांक 3.05.2019 को किमत 1,50,000/– रू0 में वादीया को बैचान कर दी। बैचान दिनांक से ही केता वादीया उक्त वर्णित आराजीयात पर काबिज काश्त चली आ रही है।

यह की प्रतिवादी कम 1 रामनिवास पुत्र पांच्या द्वारा वर्णित खसरा नम्बरान में अपने हिस्से वाली वर्णित आराजी वादीया को बैचान करते समय रहन होने के कारण विकय पत्र दिनांक 3.5.2019 का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं होने के कारण वादीया का नाम वर्णित आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं किया जा सका

यह कि प्रतिवादी कम 22 तहसीलदार पीपल्दा व उसके अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी हलका पटवारी द्वारा नवीन जमाबन्दी संवत 2075–78 बनाते समय प्रतिवादी कम 1 रामनिवास पुत्र पांच्या का हिस 1/10 गलत इन्द्राज कर दिया गया। जिसका प्रतिवादी कम 22 व उसके अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। राजस्व कर्मचारियों का विधिक दायित्व था कि जमाबन्दी में दर्ज खातेदारान के हिस्सानुसार नवीन जमाबन्दी में दर्ज किया जाना चाहिए था।

5. यह कि प्रतिवादी कम 1 रामनिवास पुत्र पांच्या के हिस्से दर्ज रहन को रहन मुक्त करवाने के लिए शाखा प्रबन्धक कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा इटावा द्वारा दिनांक 21.05.2021 को वर्णित आराजी को रहन मुक्त करने का आदेश जारी किया उक्त आदेश हलका पटवारी के पास दिया गया तो हलका पटवारी द्वारा बताया गया कि वर्णित वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादी कम 1 रामनिवास पुत्र पांच्या का हिस्सा 1/10 दर्ज हो रहा है और विकय पत्र दिनांक 3.5.2019 में प्रतिवादी कम 1 रामनिवास पुत्र पांच्या द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/7 हिस्सा वादिया को विकय किया गया है। इसलिए वादीया को यह अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादी कम 1 रामनिवास पुत्र पांच्या के हिस्से दर्ज 1/10 हिस्से वाली कृषि आराजी से प्रतिवादी कम 1 का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

अतः वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके माल ग्राम आसीदा पटवार मण्डल बालूपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान के कृषि आराजी खसरा नं0 9 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नंबर 41 रकबा 2.00 हैक्टर कृशि आराजी में दर्ज प्रतिवादी कम 1 रामनिवास पुत्र पांच्या के 1/7 हिस्सा को दुरस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादीया रामभरोशी बाई पत्नी परसराम जाति बैरवा निवासी आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान को 1/10 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु प्रतिवादी कम 22 को आदेशित किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन करवायी गई दिनांक 4.08.2022 को प्रतिवादी क0 1 स्वयं उपस्थित होकर जवाब इकबाली जवाब पेश किया कि जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

वादी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादी क0 1 द्वारा उपस्थित होकर इकबाली जवाब द्वारा पेश किया जा चुा है। अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद में कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रकरण में इकबाली जवाब पेश हुआ हैं। अतः तनकीयत कायम करने की आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। दिनां 15.02.2024 को वास्ते साक्ष्यवादी में पी0डब्लू 1 रामभरोसी ने शपथ पत्र पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी द्वारा और साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन किया वकील वादी के निवेदन पर साक्ष्यवादी बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई।

साक्ष्य प्रतिवादी में दिनांक 7.03.2024 को प्रतिवादी कम 1 स्वयं उपस्थित होकर डी0डब्लू 01 शपथ पत्र साक्ष्य तथा कालूलाल डी0डब्लू 2 साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया प्रतिवादी व वादी द्वारा और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते बहस में कायम की गई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। हमने उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन मनन किया गया वादिया रामभरोसी राजस्व रेकार्ड में सह खातेदार नहीं है। रामभरोसी द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 में सह खातेदार रामनिवास से खसरा नंबर 9 रकबा 0.77 व खसरा नंबर 41 रकबा 2.00 है0 कुल किता 2 रकबा 2.77 है0 में से अपना हिस्सा 1/7 रामभरोसी को बैचान किया गया जिसे जमाबन्दी संख्या 2075 से 2078 में 1/10 कर दिया गया जिसे दुरस्त करवाने का अधिकार सिर्फ मूल सह खातेदार रामनिवास को ही है। वादिया अपने पक्ष में निष्पादित विकय–पत्र के आधार पर वाद पत्र लेकर आयी है, जिसे मूल खातेदारान की आराजी पर वाद लाने का अधिकार नहीं है मूल खातेदार के रकबे व हिस्से में की गई त्रुटि को दुरस्त करवाने या घोषणा करवाने का अधिकार मूल खातेदार को ही है। ऐसी स्थिति में वादीनी क वाद अस्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः वादीनी का वाद अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

डिकी मेंरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 05/9/2024 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी

इटावा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०</u>

पीठासीन अधिकारी – नीता वसीटा

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
10/2022	07/03/2022	5/09/2024

1. रामभरोशी बाई पत्नी परसराम जाति बैरवा निवासी आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान।

<u>वादी</u>

बनाम

1. रामनिवास पुत्र पांच्या जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

2. उगन्ताबाई पुत्री जग्या जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

3. कालूलाल पुत्र जग्या जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

4. जगदीश पुत्र जग्या जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

5. बदाम पुत्री जग्या जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

6. ममता पुत्री जग्या जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

7. मोहनलाल पुत्र जग्या जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

8. मोत्या पत्नी जग्या जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

9. कमलेश पुत्री बद्री जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

10. गिर्राज पुत्र बद्री जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

11. पिंकी पुत्री बद्री जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

12 रघुवीर पुत्री बद्री जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

13. बरज्या पुत्र पांच्या जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

14. रामकंवरी पुत्री पांच्या जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

15. रामपति पुत्री मथुरा जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

16. हीरा बाई पत्नी मथुरा जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

17. कविता पुत्री रामस्वरूप जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

18. एलमा पुत्री संतरा बाई जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

19. महावीर पुत्र संतरा बाई जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

20. रणवीर पुत्र संतराबाई जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

21. सुलोचना पुत्री संतरा बाई जातियान बैरवा निवासीगण आसीदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

22. श्रीमान तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

<u>प्रतिवादीगण</u>

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री श्याम बैरा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि रामभरोसी राजस्व रेकार्ड में सह खातेदार नहीं होने से वाद लाने का अधिकार नहीं हमने उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन मनन किया गया वादिया रामभरोसी राजस्व रेकार्ड में सह खातेदार नहीं है। रामभरोसी द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 में सह खातेदार रामनिवास से खसरा नंबर 9 रकबा 0.77 व खसरा नंबर 41 रकबा 2.00 है0 कुल किता 2 रकबा 2.77 है0 में से अपना हिस्सा 1/7 रामभरोसी को बेचान किया गया जिसे जमाबन्दी संख्या 2075 से 2078 में 1/10 कर दिया गया जिसे दुरस्त करवाने का अधिकार सिर्फ मूल सह खातेदार रामनिवास को ही है। वादिया अपने पक्ष में निष्पादित विक्रय–पत्र के आधार पर वाद पत्र लेकर आयी है, जिसे मूल खातेदारान की आराजी पर वाद लाने का अधिकार नहीं है मूल खातेदार के रकबे व हिस्से में की गई त्रुटि को दुरस्त करवाने या घोषणा करवाने का अधिकार मूल खातेदार को ही है। ऐसी स्थिति में वादीनी क वाद अस्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः वादीनी का वाद अस्वीकार किया जाता है।

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर डिक्री मुर्तिब की जावे। यदि विवादित आराजीयात् में रहनभार दर्ज है तो यथावत रहेगा।

डिक्री मेंरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 5/9/24 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा